



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1939 (श०)

(सं० पटना 1080) पटना, वृहस्पतिवार, 16 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

16 नवम्बर 2017

एस. ओ. 283 दिनांक 16 नवम्बर 2017—बिहार गजट (असाधारण अंक) में प्रकाशित एस. ओ. 277, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं० 46/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में, हिन्दी पाठ में—क्रम सं० (ii) की प्रविष्टि (क), (ख) एवं (घ) में शब्द समूह “और कैन्टीन भी आते हैं” के पश्चात शब्द समूह, “चाहे जहाँ ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिसका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है,” अंतःस्थापित किया जाता है।

2. यह शुद्धि-पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017-4103)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1080-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>